दिनांक–27.04.2026 को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं CGRC के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के संबंध में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना, अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) अंचल–गया जी एवं सासाराम, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित) प्रमंडल–गया जी, शेरघाटी, सासाराम एवं भभुआ तथा पटना प्रक्षेत्र अंतर्गत संबंधित प्रमंडलों में कार्यों की गुणवत्ता की जाँच करने हेतु नामित सभी सहायक अभियंता (मु0) के साथ आहुत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

---

1. सर्वप्रथम मुख्यालय स्थित सहायक अभियंताओं (मु0) द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाए गए समस्याओं का विस्तृत रूप से समीक्षा किया गया। समीक्षा के दौरान सहायक अभियंताओं (मु0) द्वारा मुख्य रूप से निम्न प्रकार की समस्याओं को चिन्हित किया गयाः–

- पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है।
- निजी जमीन होने के कारण पाईप लाईन बिछाने में विवाद होने के कारण जलापूर्ति बाधित है।
- नाला निर्माण एवं विद्युत पोल न होने के कारण जलापूर्ति बाधित है।
- सड़क चौड़ीकरण के दौरान पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है।
- संवेदकों द्वारा धीमी गति से कार्य करने एवं कम संख्या में मानव बल रखने के कारण समस्याओं का निराकरण ससमय नहीं हो पाना।
- पंप ऑपरेटर का भुगतान लंबित होने के कारण, उनके द्वारा योजनाओं का संचालन नियमित रूप से नहीं किए जाने से जलापूर्ति बाधित।
- कई संवेदकों/एजेंसी द्वारा O&M अवधि समाप्त होने के उपरांत कार्य नहीं किए जाने से जलापूर्ति बाधित।
- नए बसावटों को छुटा टोला में नहीं लिए जाने के कारण वहां पर जलापूर्ति की समस्याओं का निराकरण किया जाना कठिन है।
- कई योजनाओं में कम दबाव होने के कारण अंतिम छोर तक जलापूर्ति बाधित होना।
- शिकायतकर्ता द्वारा एक से अधिक गृह जल संयोजन की मांग करना।
- सड़क एवं बांध में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं मिलने के कारण पाईपलाईन का कार्य बाधित है।

2. योजनाओं के क्रियाशीलताः–

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वस्थ्य प्रमंडल, गया जी अंतर्गत कुल–2665 योजनाओं में 16 योजनाएं बंद है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, गया जी से पृच्छा की गई, उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 16 योजना में से 4 योजना पाईपलाईन क्षतिग्रस्त रहने एवं 12 अदद योजना में बार–बार बोर फेल होने के कारण लंबित है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 दिनों में उक्त समस्या का निराकरण कर जलापूर्ति बहाल कर दिया जाएगा।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वस्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी अंतर्गत कुल–2037 योजनाओं में 15 योजनाएं बंद है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, शेरघाटी से पृच्छा की

गई, उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 15 बंद योजनाएं में से 2 योजना पाईपलाईन क्षतिग्रस्त रहने एवं 13 अदद योजना में बार–बार बोर फेल होने के कारण लंबित है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 दिनों में उक्त समस्या का निष्पादन कर जलापूर्ति बहाल कर दिया जाएगा।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वस्थ्य प्रमंडल, सासाराम अंतर्गत कुल–3129 योजनाओं में 29 योजना बंद है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, सासाराम से पृच्छा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 29 अदद योजनाओं में से 8 अदद योजना में पाईपलाईन क्षतिग्रस्त रहने, 4 अदद योजना में बार–बार बोर फेल होने एवं 17 अदद योजना में विद्युत समस्या के कारण लंबित है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 दिनों में उक्त समस्या का निष्पादन कर जलापूर्ति बहाल कर दिया जाएगा।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वस्थ्य प्रमंडल, भभुआ अंतर्गत कुल–2070 योजनाओं में 04 योजना बंद है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, भभुआ से पृच्छा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 04 अदद योजनाओं में से 01 अदद योजना पाईपलाईन क्षतिग्रस्त रहने एवं 03 अदद योजना बोर फेल होने के कारण बंद है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उक्त समस्या का निष्पादन कर जलापूर्ति बहाल कर दिया जाएगा।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया जी एवं शेरघाटी में क्रमशः 16 एवं 15 योजना बंद पाई गई, इस संबंध में सहायक अभियंता (मु0) से पृच्छा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त योजना की जांच उनके द्वारा नहीं किया गया। उक्त के संबंध में सहायक अभियंता (मु0) को प्रशाखा–05/11 से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैधिक सचिव/सहायक अभियंता (मु0)।

3. Left out tola PHED/PRD Work progress:-

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया जी, शेरघाटी, सासाराम एवं भभुआ के संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्धारित समय माह, मई अंतर्गत यथासंभव मानव बल बढ़ाते हुए शीघ्र बोरिंग कर अधिकतम संख्या में योजना को **TRC** में लाते हुए एक माह के अंदर जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ सभी कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि कराए जा रहे कार्यों में बोरिंग के भुगतान के पूर्व Strata Chart एवं Pea-gravel के चालान की जांच करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही अवांछनीय होगी। जांच किये बगैर भुगतान करने पर, संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अनुपालनः— सभी कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता।

4. Water Table/Tanker Report:-

- ❖ समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, गया जी, शेरघाटी, सासाराम एवं भभुआ के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उनके प्रमंडलांतर्गत औसत Water Table की स्थिति क्रमशः 32ft, 28ft, 24ft एवं 35ft है। सभी सहायक अभियंता (मु0) को निदेशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के क्रम में Water Table की जांच करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— सहायक अभियंता (मु0)।

- ❖ भीषण ग्रीष्मकालीन स्थिति को देखते हुए लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया जी, शेरघाटी, सासाराम एवं भभुआ के कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि अपने प्रमंडलांतर्गत सभी टैंकर को कार्यरत रखेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर यथाशीघ्र टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

5. CGRC:-

- ❖ CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम, गया जी, भभुआ एवं शेरघाटी में दिनांक--15.07.2025 से 26.04.2026 तक क्रमशः 138, 71, 39 एवं 24 शिकायतें लंबित पाया गया। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता से पृच्छा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि क्रमशः 138, 71, 39 एवं 24 शिकायतों में से क्रमशः 67, 37, 16 एवं 14 शिकायतें ऐसी पाई गई है जिसमें पाईपलाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है एवं अन्य मामलों मे पंप ऑपरेटर के मानदेय भुगतान/पाईपलाईन लिकेज/हाउस कनक्शेन नहीं मिलने के कारण शिकायतें लंबित है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उक्त समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण कर जलापूर्ति बहाल सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया जी अंतर्गत अवर प्रमंडल—गया पश्चिम में 15 दिनों से अधिक 14 शिकायत लंबित पाया गया। इस संबंध में संबंधित कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि यह योजना PRD की है जिसमें 02 शिकायत पंप ऑपरेटर के मानदेय भुगतान, 07 शिकायतें छुटा हुआ टोला से संबंधित है एवं अन्य मामले में बोरिंग फेल हो जाने के कारण शिकायते लंबित है। नया बोरिंग किया जा रहा है, शीघ्र ही जलापूर्ति बहाल की जाएगी। कनीय अभियंता द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि उक्त समस्याओं का अविलंब निराकरण कर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित कनीय अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया जी अंतर्गत अवर प्रमंडल—बजीरगंज में 15 दिनों से अधिक 07 शिकायत लंबित पाया गया। इस संबंध में संबंधित कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा एक ही शिकायत को Duplicate किया गया है एवं बोरिंग फेल हो जाने के कारण शिकायते लंबित है। कनीय अभियंता द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि उक्त समस्याओं का निराकरण कर जल्द ही जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित कनीय अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी अंतर्गत अवर प्रमंडल—बाराचट्टी में 15 दिनों से अधिक 02 शिकायत लंबित पाया गया। इस संबंध में संबंधित कनीय अभियंता से पृच्छा क्रम में

जानकारी का अभाव पाया गया। इस संबंध में कनीय अभियंता से प्रशाखा–05/11 से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैधिक सचिव।

- समीक्षा के क्रम में यह संज्ञान में आया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी अंतर्गत बाराचट्टी/मोहनपुर/फतेहपुर के PRD योजनाओं में 90 योजनाओं का Handover नहीं लिया गया। इस संबंध में प्रमंडल के संबंधित सहायक अभियंता से पृच्छा करने पर उनके द्वारा बताया गया कि Critical पंचायत होने के कारण उक्त योजनाओं को Handover नहीं लिया गया। इस संबंध में सहायक अभियंता से प्रशाखा–05/11 से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि योजनाओं को 15 दिनों में Handover लेते हुए प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गया जी उक्त योजनाओं का नियमित रूप से अनुश्रवण करेंगे।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैधिक सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना/ अधीक्षण अभियंता, गया जी/संबंधित कार्यपालक अभियंता

- समीक्षा के क्रम में यह संज्ञान में आया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम के प्रखंड, काराकट में 15 दिनों से अधिक 10 शिकायत लंबित है। इस संबंध में संबंधित कनीय अभियंता से पृच्छा किया गया तो उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। इस संबंध में संबंधित कनीय अभियंता को प्रशाखा–05/11 से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैधिक सचिव।

- समीक्षा के क्रम में यह संज्ञान में आया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम के प्रखंड, दिनारा में 15 दिनों से अधिक 02 शिकायतें लंबित है। इस संबंध में संबंधित कनीय अभियंता से पृच्छा किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि पाईपलाईन निजी जमीन से होकर गया है, जहाँ पाईपलाईन को काट दिया गया है, जिसके कारण शिकायत लंबित है।
- समीक्षा के क्रम में यह संज्ञान में आया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम के प्रखंड, संझौली में 15 दिनों से अधिक 21 शिकायत लंबित है। इस संबंध में संबंधित कनीय अभियंता से पृच्छा किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि एक ही शिकायतकर्ता की 07 शिकायतें है एवं अन्य 14 मामले जमीनी विवाद के कारण लंबित है।
- लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ के अवर प्रमंडल, चांद में 15 दिनों से अधिक में 05 शिकायत लंबित पाया गया। इस संबंध में संबंधित कनीय अभियंता के द्वारा बताया गया कि यह योजना PRD की है एवं यहॉ पाईपलाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण शिकायत लंबित है, जहाँ पाईपलाईन की मरम्मति कर जलापूर्ति बहाल कर दिया जाएगा। साथ ही प्रखंड, दुर्गावती एवं कुदरा में क्रमशः 05 एवं 05 शिकायत लंबित पाया गया। इस संबंध में संबंधित कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि समस्या का निराकरण कर दिया गया है।

6. विद्युत विपत्र की स्थितिः–

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गया जी एवं सासाराम के अधीक्षण अभियंता से अपने अधीनस्थ प्रमंडलों का PWS/MVS/SVS/MINI से संबंधित 38 कॉलम प्रतिवेदन के संबंध में पृच्छा की गई, जिसमें उनके द्वारा संसूचित किया गया कि प्रतिवेदन में संशोधन करने कि आवश्यकता हैं जिसे संशोधित कर प्रतिवेदन (Soft and Hard copy) अपने एवं संबंधित

क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के स्पष्ट मंतव्य के साथ दो दिनों के भीतर मुख्यालय को समर्पित कर दिया जाएगा।

अनुपालनः– सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता।

- ❖ कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम एवं भभुआ द्वारा आवश्वासन दिया गया कि अगले 2 दिनों में MIS पर सभी जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं की मैपिंग कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी एवं गया जी के द्वारा स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन संबंधित प्रतिवेदन अभी तक पूर्ण रूप से मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा संसूचित किया गया कि अगले दो दिनों में स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा। डिफेक्टिव विद्युत मीटर की जगह नए मीटर को अधिष्ठापित करने हेतु CGRF Portal (बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड) पर शिकायत को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम के संबंधित सहायक अभियंता (यांत्रिक) एवं कनीय अभियंता (यांत्रिक) को विद्युत संबंधी समस्याओं/शिकायतों की जानकारी का अभाव है। इस संबंध में सहायक अभियंता (यांत्रिक) एवं कनीय अभियंता (यांत्रिक) से प्रशाखा–05/11 से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैधिक सचिव।

7. <u>अन्यान्यः–</u>

- ❖ समीक्षा के क्रम में सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि नए बसावटों में जलापूर्ति हेतु यथासंभव Deviation/Variation के माध्यम से कार्य पूर्ण कराए। यदि आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत प्रस्ताव को यथाशीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए उसे ऑन लाईन के माध्यम से भी संसूचित करेंगे, जिसका अनुश्रवण मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) द्वारा किया जाएगा।

अनुपालनः– मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)/सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी कार्यपालक को निदेश दिया गया, जिन संवेदको द्वारा कार्य में रूचि नहीं लिया जा रहा एवं ससमय कार्य न कर लापरवाही बरती जा रही है, ऐसे संवेदको पर एकरारनामा के निहित प्रावधानों के तहत संविदात्मक दायित्व का निर्वहन नहीं करने के कारण, उनपर एकरारनामा में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ ऐसी योजनाएं जहाँ पाईपलाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है, इन योजनाओं में गैर–योजना/PRD O&M मद से कार्य कराते हुए जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण/जांच की रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता।

बैठक में प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन ससमय करने हेतु सभी उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

21.05.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 14/बैठक–101/24–437 दिनांक– 27/5/26.

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक–101/24–437 दिनांक– 27/5/26.

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक–101/24–437 दिनांक– 27/5/26.

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)